[ Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 4th October, 2010]

**हरियाणा सरकार**

परिवहन विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 4 अक्तूबर, 2010

**संख्या 22/76/2003-2T(1).**—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 59), की धारा 67 की उपधारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना 22/76/2003-2टी(II), दिनांक 31 मार्च, 2006 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा को, हरियाणा राज्य में मंजिली गाड़ियों के लिये किराये और माल-भाड़े की दरों को नियत करने सम्बन्धी निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात् :—

**निर्देश**

राज्य परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि राज्य में मंजिली गाड़ियों के लिये किराये और माल-भाड़े की निम्नलिखित दरें नियत करें :—

| क्रम संख्या | सेवा की किस्म | सकल किराया (यात्री कर शामिल करने के उपरान्त) पैसा/यात्री प्रति किलोमीटर | व्यक्तिगत सामान का भाड़ा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | मैदानी क्षेत्र में सभी पक्की सड़को के लिये | 62.50 | प्रति किलोमीटर, प्रति 40 किलोग्राम के लिये आधा भाड़ा |
| 2. | साधारण वातानुकूलित गाड़ियों के लिये | 83.33 | |
| 3. | डिलैक्स बसों के लिये | 93.75 | |
| 4. | वातानुकूलित डिलैक्स बसों के लिये | 125.00 | |
| 5. | आराम-देय वातानुकूलित बसों के लिये | 187.50 | |

व्याख्या:—

1. हरियाणा परिवहन द्वारा संचालित हरियाणा गौरव की बसों की दशा में साधारण किराये के अतिरिक्त प्रति टिकट निम्नलिखित अतिरिक्त राशि प्रभारित की जायेगी :—

   (क) 50 किलोमीटर तक — 5/- रुपये

   (ख) 51 से 100 किलोमीटर तक — 10/- रुपये

   (ग) 101 से 150 किलोमीटर तक — 15/- रुपये

   (घ) 151 तथा उससे ऊपर — 20/- रुपये

2. मार्गों के विभिन्न प्रक्रमों के लिये (यात्री कर सम्मिलित करने के पश्चात्) संगणित किराये को अगले एक रुपये तक पूरा कर दिया जायेगा।

3. न्यूनतम प्रभार्य किराया (यात्री कर सम्मिलित करने के पश्चात्) तीन रुपये होगा।

4. आधे किलोमीटर से कम के भाग को नहीं गिना जायेगा।

समीर माथुर,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

47745—C.S.—H.G.P., Chd.